17/2020 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित वादी की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी पेश किया गया। प्रति अधिवक्ता प्रतिवादीगण को दिलाई गई जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आज ही बहस करनी चाही बहस उभय पक्षकारान सुनी गई । अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम लक्ष्मीनारायणनगर के खसरा सख्या 424/1, 363/1, 424/2, 423/4, 424, 363, 425, 423, 422 भूमि बाबत वादपत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है, प्रकरण हाजा से सबंधित पक्षकारो के मध्य उपरोक्त समस्त विवादग्रस्त भूमि के खसरान की भूमि बाबत एक वाद राजस्व न्यायालय फलोदी में वाद सख्या 50/81 चलकर निर्णित हुआ वर्तमान में उक्त वादपत्र की पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर में आज दिन भी विचाराधीन है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्थगन आदेश भी जारी कर रखा हैं जिसका नोट पेन्सिल से जमाबन्दी में लगा हुआ है। इसलिए वादीगण की ओर से उक्त वादपत्र जानबूझकर वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुए पेश किया है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अत वादपत्र नामंजूर किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब अधिवक्ता वादी की ओर से पेश किया कि जो वादपत्र माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरण तथा इस प्रकरण में पक्षकार समान नही है तथा वादकारण भी एक नही हैं व उक्त वादग्रस्त भूमि की चालू जमाबन्दीयो की प्रति भी पेश कर रहे है। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रति तथा वादपत्र पेश करने के पश्चात प्रस्तुत जमाबन्दी में कोई भिन्न्ता नही है। इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित विधिक सिद्वान्त वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र पर लागू नही होते है। इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी तथा राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील की प्रति पेश की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रार्थना पत्र के सम्बधित विधि का अध्ययन किया गया आदेश 07 नियम 11 (घ) इस प्रकार से है कि :–

जहॉ वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता हैं कि वादपत्र किसी विधि द्वारा वर्जित है।

उक्त विधिक विवेचना के अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण के स्थगन बाबत

Scanned with CamScanner

नोट भी वादी अधिवक्ता स्वय द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित है कि " नोट जमाबन्दी में पेंन्सिल से स्थगन का नोट लगा हुआ है। तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र तथा मौखिक बहस में भी इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नही आया कि जो प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन हे वह प्रकरण वादग्रस्त भूमि का नही होकर अन्य भूमि के है या राजस्व मण्डल में वादपत्र का पूर्णतया निस्तारण किया जा चुका है। इस प्रकार से वादीगण द्वारा जानबूझकर वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुए बिना अनुमति के वादग्रस्त भूमि बाबत दूसरा नया वादपत्र पेश किया है जो सिविल प्रकिया संहिता की धारा 10 के द्वारा बाध्य है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वादपत्र नामंजूर किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार की जाकर नम्बर के कम होकर दाखिल दफतर हो।

Scanned with CamScanner